



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/ATY-2899/JH/4/2025-RU-IV

दिनांक: 26.08.2025

To,

1. मुख्य सचिव

झारखंड सरकार,
प्रथम तल, प्रोजेक्ट भवन,
धुर्वा, रांची - 834004,
झारखंड
Email Id: cs-jharkhand@nic.in

2. पुलिस महानिदेशक

झारखंड सरकार
झारखंड पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, रांची, झारखंड- 834004
Email Id: dgp@jhpolicen.gov.in

3. जिलाधिकारी

जिलाधिकारी कार्यालय,
गोड्डा, झारखंड - 815102
Email Id: dc-godda@nic.in

4. जिला पुलिस अधीक्षक गोड्डा

जिला पुलिस कार्यालय,
गोड्डा, झारखंड- 815102
Email Id: sp-godda@jhpolicen.gov.in

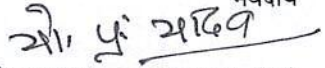
विषय: श्री दीपक प्रकाश, सांसद (राज्यसभा, झारखंड) दिनांक 16-08-2025 द्वारा प्रस्तुत आवेदन- आदिवासी नेता स्व. सूर्या हांसदा की संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दल द्वारा दिनांक 24.08.2025 को किए गए दौरों की रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि दौरे की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट 03 दिनों के भीतर आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय

(योगेन्द्र पी. यादव/Yogendra P. Yadav)
उप सचिव/Deputy Secretary
दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: yp.yadav48@gov.in

प्रतिलिपि

श्री दीपक प्रकाश, 19, फ़िरोज़शाह रोड, नई दिल्ली - 110001, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली - 110001

माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के पीएस

✓ एनआईसी के लिए अपलोड हेतु



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-2899/JH/4/2025-RU-IV

स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन (REPORT)

विषय:- श्री दीपक प्रकाश, माननीय सांसद (राज्यसभा, झारखण्ड) द्वारा दिनांक 16.08.2025 को प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से आदिवासी नेता स्व. सूर्या नारायण हांसदा की दिनांक 10/11.08.2025 को जिला गोड्डा (झारखण्ड) में हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु प्रकरण की निष्पक्ष जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

प्रकरण के आलोक में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा एवं माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग के जाँच दल द्वारा दिनांक 24.08.2025 को जिला गोड्डा (झारखण्ड) का दौरा किया गया।

दौरे में सम्मिलित अधिकारीगण:

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव	उप सचिव
2.	श्री एच. आर. मीना	परामर्शदाता
3.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार
4.	श्री राहुल	अन्वेषक
5.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीय सदस्या के निजी सचिव
6.	श्री प्रीति रंजन चाकमा	माननीय सदस्य के निजी सचिव

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान (नवासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई तथा जो दिनांक 19 फरवरी, 2004 से

प्रवृत्त हुआ। उक्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के अधीन, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन उपरांत किया गया, ताकि संविधान में अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों/संरक्षणों के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके।

(5) आयोग का कर्तव्य होगा कि—

- (a) संविधान अथवा समय-समय पर प्रवृत्त किसी विधि अथवा शासन के आदेश द्वारा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संरक्षणों से संबंधित सभी विषयों की जाँच एवं अनुश्रवण करना तथा ऐसे संरक्षणों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना;
- (b) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों एवं संरक्षणों से वंचित किए जाने के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना;
- (c) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजना निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी होना एवं परामर्श देना तथा संघ एवं किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (d) राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य समय पर, जैसा आयोग उपयुक्त समझे, उन संरक्षणों के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- (e) ऐसे प्रतिवेदनों में यह अनुशंसा करना कि संघ अथवा किसी राज्य द्वारा उन संरक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कौन-कौन से उपाय किए जाने अपेक्षित हैं; तथा
- (f) अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास एवं उन्नयन से संबंधित ऐसे अन्य कार्य संपादित करना, जिन्हें राष्ट्रपति, संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट करें।

(8) आयोग को, जब वह उपखंड (a) में वर्णित किसी विषय की जाँच कर रहा हो अथवा उपखंड (b) में उल्लिखित किसी शिकायत की पड़ताल कर रहा हो, तब दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद की सुनवाई में निहित सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, विशेषतः निम्नलिखित विषयों में—

- (a) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उसे शपथ पर परीक्षित करना;
- (b) किसी दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता करना;
- (c) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य स्वीकार करना;
- (d) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख अथवा उसकी प्रति का अभ्यावेदन करना;
- (e) गवाहों एवं दस्तावेजों की परीक्षा हेतु आयोग (commission) निर्गत करना;
- (f) अन्य कोई विषय, जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।

प्रकरण में श्री दीपक प्रकाश, सांसद (राज्यसभा, झारखंड) द्वारा आयोग को प्राप्त आवेदन दिनांक 16-08-2025, जोकि आदिवासी नेता स्व. सूर्या हांसदा की झारखण्ड राज्य के गोड्डा जिले में दिनांक 10/11.08.2025 को संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के संबंध में है

प्रकरण में आयोग द्वारा उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक जिला गोड्डा को नोटिस दिनांक 18.08.2025 भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी जिसके सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला गोड्डा से उत्तर रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 आयोग को प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत आयोग द्वारा इस प्रकरण में स्थलीय जांच/ निरीक्षण करना तय किया गया तदुसार आयोग के संवैधानिक प्रावधान व कार्यप्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरूपम चाकमा एवं माननीय सदस्या डॉ आशा लकड़ा के नेतृत्व में, ने 24.08.2025, को झारखण्ड राज्य के गोड्डा जिले का दौरा किया। इस दौर के दौरान स्थलीय निरीक्षण किया गया, पीड़ित परिवार से मुलाकात की गयी व उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के साथ बैठक आहूत की गई।

1. स्थलीय निरीक्षण

- आयोग का दल जिला अतिथिगृह, गोड्डा में आगमन उपरांत सीधे उस स्थल पर पहुँचा, जहाँ स्व. सूर्या नारायण हांसदा की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी।
- घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया एवं फोटो व वीडियो साक्ष्य संकलित किए गए।
- यह सुनिश्चित किया गया कि आयोग की कार्यवाही से राज्य पुलिस की चल रही जाँच प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
- घटनास्थल पर गोड्डा जिला मुख्यालय के उप पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। तथापि, आयोग की पूर्व सूचना के बावजूद SIT प्रमुख उप पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाना प्रभारियों (ललमटिया, बोआरीजोर एवं महागामा) की उपस्थिति नहीं रही।

2. पीड़ित परिवार से भेंट

- निरीक्षण उपरांत आयोग के दल ने मृतक के परिजनों, विशेषकर उनकी पत्नी एवं माता से भेंट कर घटनाक्रम एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

3. बैठक

- सायं 06:00 बजे जिला अतिथिगृह, गोड्डा में आयोग द्वारा उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आहूत की गई (उपस्थिति पत्रक संलग्न)।
- पूर्व सूचना के बावजूद उपरोक्त SIT प्रमुख एवं थाना प्रभारियों की बैठक में अनुपस्थिति रही।
- जिला पुलिस अधीक्षक से कारण पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त अधिकारी बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे और आयोग जो भी जानकारी चाहता है, वह सीधे उनसे प्राप्त कर सकता है।
- पुलिस अधीक्षक ने यह भी सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की जाँच CID को हस्तांतरित कर दी गई है तथा जिला पुलिस द्वारा अब तक की सभी कार्यवाहियाँ विधि सम्मत की गई हैं।
- इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के बयान एवं उपस्थिति इस प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों को समझने हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

4. आयोग के स्थलीय निरीक्षण, जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा से बैठक के उपरांत निम्नलिखित अभिलेखों की सत्यापित प्रतियाँ तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं —
- I. मृतक सूर्या नारायण हांसदा के विरुद्ध दर्ज समस्त 24 प्राथमिकी (FIR), आरोपपत्र एवं वर्तमान स्थिति की प्रतियाँ।
 - II. पोस्टमार्टम हेतु गठित मेडिकल बोर्ड की संरचना (Composition) की प्रति।
 - III. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग को दिनांक 19.08.2025 को प्रेषित पत्र में उल्लिखित SIT गठन आदेश एवं उसका संरचना विवरण की प्रति।
 - IV. मृतक की दिनांक 09.08.2025 को गिरफ्तारी का गिरफ्तारी-स्मरण पत्र (Arrest Memo), गिरफ्तारी के पश्चात की गई चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट एवं गिरफ्तारी के आधारों का विवरण।
 - V. उक्त मृतक अभियुक्त के निशानदेही पर पुलिस द्वारा तलाशी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु गए दल एवं जब्त हथियारों का समस्त ब्यौरा दिया जाए।
 - VI. इस प्रकरण से संबंधित दिनांक 09.08.2025 से 11.08.2025 तक की अवधि में थाना ललमटिया, थाना बोआरीजोर एवं थाना महागामा की समस्त *Daily Diary Entries* (रोजनामचा प्रविष्टियाँ) तथा जिला पुलिस मुख्यालय की *Daily Diary Entries* (रोजनामचा प्रविष्टियाँ) की सत्यापित प्रतिलिपियाँ आयोग को उपलब्ध कराई जाएँ।
5. प्रकरण में इन सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग को 03 दिवस में प्रेषित की जाए

हस्ताक्षर

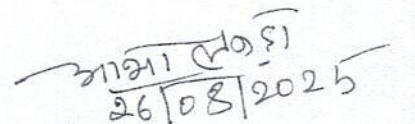


श्री निरुपम चाकमा

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

निरुपम चाकमा / Nirupam Chakma
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi



डॉ. आशा लकड़ा

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

आप दिनांक - 24/08/2025 को मोनोमीन मेम्बर
 Dr. Asha Lakshmi, के अध्यक्षता में अड्डास्थित
 जनजाति आयोग के भूतल कार्यक्रम के अवसर
 पर पिना के सभी पदाधिकारियों के साथ
 बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारी
 उपस्थित हुए :-

① Dr. Asha Lakshmi — अध्यक्षता
 Mobile members Meet → 24/08/2025
 Govt. of India.

② Shri Nizupam Chakma
 Mobile members Meet,
 Govt. of India.

③ उपस्थित, गौडडा → 24/8/25

④ पुनीम अलीखत
 गौडडा → 24/8/25

⑤ उप, विकास अधिकारी,
 गौडडा

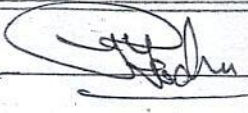
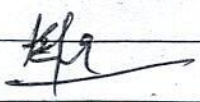
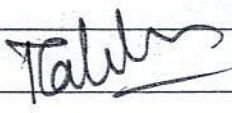
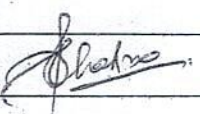
⑥ अध्यक्ष पदाधिकारी → 24/08/2025
 गौडडा

⑦ SDPO, Godda →

⑧ DSO, Godda — 24/8/25

⑨ DEO, Godda 24.8.25

⑩ DSE, Godda 24.08.25

12. Y. P. Yadav, Dy. Secretary (NCST) 
13. H. R. Meena, Consaff. NCST 
14. Rahul Yadav, Advocate - NCST 
15. Prili Rangan Chakma - NCST 
16. Rahul, Investigator - NCST 